

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2023

जयपुर, दिनांक : 02.03.2023

आदेश

डा. विरेन्द्र महात्मा, वरिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन), जिला चिकित्सालय, सिरौही, को जिला चिकित्सालय, सिरौही, का प्रमुख चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 3 के अन्तर्गत कार्यालयाध्यक्ष घोषित करते हुए आहरण एवं वितरण अधिकारी की शक्तियां एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(निमिषा गुप्ता)

संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग एवं पंचायती
राज (चिकित्सा) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. जिला कलेक्टर, सिरौही
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर
5. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, राजस्थान
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
7. कोषाधिकारी, सिरौही
8. डा. विरेन्द्र महात्मा, वरिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन)को पालनार्थ।
9. कम्प्यूटर सेल



संयुक्त शासन सचिव